संख्या-266/2026/531/26-27-सिं-4-ई-2043587

प्रेषक

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ :: दिनांक 05 मई, 2026**

विषय: मौदहा बांध पर जल यांत्रिक संयंत्रों/गेटों के अनुरक्षण/जीर्णोद्धार कार्य कराने हेतु दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 15.05.2026 के मध्य मौदहा बांध को डेड स्टोरेज 139.70 मीटर (क्षमता 21.0 एम0सी0एम0) तक खाली करने की अनुमति एवं दिनांक 15.05.2026 से दिनांक 15.06.2026 तक मौदहा बांध क्लोजर की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (अनु0 एवं मूल्यां0), सिंचाई एवं जल संशाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35/सिनिक-19/नहर बन्दी, दिनांक 15.04.2026 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मौदहा बांध पर जल यांत्रिक संयंत्रों/गेटों के अनुरक्षण/जीर्णोद्धार कार्य कराने हेतु दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 15.05.2026 के मध्य मौदहा बांध को डेड स्टोरेज 139.70 मीटर (क्षमता 21.0 एम0सी0एम0) तक खाली करने की अनुमति एवं दिनांक 15.05.2026 से दिनांक 15.06.2026 तक मौदहा बांध क्लोजर की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) मौदहा बांध क्लोजर के विषय में उपलब्ध संचार/समाचार माध्यमों से स्थानीय कृषकों की जानकारी हेतु समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराते हुए उक्त से क्षेत्रीय मा0 सांसदगण, मा0 विधायकगण एवं अन्य मा0 जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाय।

(2) बाँध सुरक्षा अधिनियम-2021 के चैप्टर-VI की धारा 29 के अनुसार 'Nothing contained in this Act shall be construed to absolve an owner of a specified of the duties obligations or liabilities incidental to the construction, operation, maintenance and supervision of the dam or reservoir" का प्राविधान है। अतएव निर्दिष्ट बाँध के construction, operation, maintenance and supervision का समस्त दायित्व Dam Owner का होगा।

(3) बाँध सुरक्षा अधिनियम-2021 के चैप्टर-VIII की धारा-36 के अनुसार जलाशय खाली करने से पूर्व निर्दिष्ट बाँध के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में प्रभावित हित धारकों के जान-माल की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया जाए।

(4) क्लोजर अवधि के दौरान जलीय जैव-विविधता पर न्यूनतम प्रभाव, क्षेत्र में स्थित तालाब पोखर भरने हेतु पर्याप्त जल व्यवस्था एवं पेय जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये।

(5) उक्त क्लोजर अवधि में ही मौदहा बांध पर जल यांत्रिक संयंत्रों/गेटों के अनुरक्षण/जीर्णोद्धार के समस्त कार्य सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-266/2026/531(1)/26-27-सिं0-4 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. मण्डलायुक्त, झांसी, उ0प्र0।
6. जिलाधिकारी, हमीरपुर।
7. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)/ प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11. मुख्य अभियंता (स्तर-1), दक्षिण, सिंचाई एवं जल संशाधन विभाग उ0प्र0, झांसी।
12. मुख्य अभियंता (अनु0 एवं मूल्यां0), सिंचाई एवं जल संशाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
13. मुख्य अभियन्ता (परियोजना-बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 झांसी।
14. मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
15. मुख्य अभियन्ता (एस0डी0एस0ओ0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, वाल्मी भवन उतरेठिया, उ0प्र0, लखनऊ।
16. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल महोबा, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, महोबा।
17. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यशाला मण्डल, कानपुर।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव।